

ब्यूज टुडे

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना विकसित भारत 2047 के विज़न और महिला विकास से महिला के नेतृत्व वाले विकास की ओर वैश्विक बदलाव के अनुरूप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में

- मंत्रालय: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- बाद में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इसमें भागीदार के रूप में शामिल हो गए थे।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे मिशन शक्ति की संबल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- मिशन शक्ति का उद्देश्य मिशन मोड के तहत महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेपों को मजबूत करना है।
 - इसकी दो उप-योजनाएं हैं- 'संबल' और 'सामर्थ्य'।
- उद्देश्य:
 - जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में प्रति वर्ष 2 अंकों का सुधार करना।
 - संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार करना तथा इसे 95% या उससे अधिक के स्तर पर बनाए रखना।
 - प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर के तहत नामांकन में 1% की वृद्धि करना तथा बालिकाओं/ महिलाओं का कौशल विकास करना।
 - माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को रोकना।
 - सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट (MHM) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां (2014-2024)		
SRB	GER	ID
जन्म के समय लिंगानुपात (SRB)	माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GER)	संस्थागत प्रसव
2014-15 918	2014-15 75.51%	2014-15 61%
2023-24 930	2023-24 78%	2023-24 97.3%
सुधार: +12 अंक	सुधार: +2.49%	सुधार: +36.3%

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 'महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को समाप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट रिपोर्ट' जारी की

इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच (WEF) और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में पुरुषों व महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में मौजूद अंतर को समाप्त करने की आर्थिक और सामाजिक क्षमताओं को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपने जीवन का 25% अधिक समय खराब सेहत के साथ बिताना पड़ता है।
- महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में अंतर के लिए उत्तरदायी 9 चुनिंदा कारक: ये कारक जीवनकाल (Lifespan) और स्वास्थ्य-काल (Healthspan) को प्रभावित करते हैं।
 - जीवनकाल को प्रभावित करने वाले कारक हैं:
 - सर्वाइकल और स्तन कैंसर;
 - गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं (Maternal Hypertensive Disorders);
 - डिलीवरी के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव आदि।
 - स्वास्थ्य-काल को प्रभावित करने वाले कारक हैं:
 - मेनोपॉज और पेरिमेनोपॉज;
 - प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS);
 - माइग्रेन आदि।
- स्वास्थ्य देखभाल अंतर को दूर करने से लाभ: पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य देखभाल में अंतर को दूर करने के निम्नलिखित लाभ हैं:
 - 2040 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक वृद्धि हो सकती है।
 - प्रतिवर्ष 75 मिलियन 'दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों' (DALYs) की भरपाई की जा सकती है।
 - DALYs समग्र बीमारी के बोझ को मापने का एक मानदंड है। यह उन वर्षों की संख्या को दर्शाता है जो खराब सेहत, दिव्यांगता, या समय से पहले मृत्यु के कारण लुप्त हो गए हैं।

आगे की राह

- वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक प्रणालियां महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। सार्वजनिक, निजी और सामाजिक क्षेत्रों के हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि पुरुषों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मौजूद भेदभाव को दूर किया जा सके। इससे महिलाओं को पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा, साथ ही यह वैश्विक उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करेगा।

विभिन्न मापदंडों से संबंधित समस्याएं	सिफारिशें (महिला स्वास्थ्य-देखभाल प्रभाव के ट्रैकर)
<p>डेटा में विसंगतियां: विशेष रूप से कम आय वाले देशों में डेटा में विसंगतियों के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य का सटीक अनुमान लगाने में समस्या आती है।</p>	<p>महिलाओं की गिनती करना (Count Women): पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग डेटा प्रकाशित करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मौजूद अंतर को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।</p>
<p>महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशिष्ट शोध का अभाव और कम फंडिंग: जैसे- दूसरे X क्रोमोसोम (Second X Chromosome) के अध्ययन पर अधिक स्टडी नहीं होना, हार्मोनल स्वास्थ्य समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं देना, आदि।</p>	<p>महिलाओं पर अध्ययन (Study Women): विविध और विकेंद्रीकृत क्लिनिकल परीक्षणों के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए तथा उनकी सुलभता सुनिश्चित करनी चाहिए।</p>
<p>स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में असमानताएं: पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच एक विहाई से अधिक अंतर की मुख्य वजह दोनों के लिए देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में मौजूद असमानता है।</p>	<p>महिलाओं की देखभाल (Care for women): महिलाओं से संबंधित विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं पर पर्याप्त और साक्ष्य-आधारित क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस (CPGs) लागू करनी चाहिए।</p>
<p>सांस्कृतिक बाधाएं: निम्न सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं शर्म और हीन भावना के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने से बचती हैं।</p>	<p>सभी महिलाओं को शामिल करना: जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को महिला-विशिष्ट विकारों के लिए उचित देखभाल तथा अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।</p>
<p>निवेश की कमी: महिला विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं तथा इनके निदान एवं इलाज पर सेवाओं की मांग (मार्केट) पर अधिक डेटा मौजूद नहीं है। इसी वजह से दवा कंपनियां इनमें अधिक निवेश करने से बचती हैं।</p>	<p>महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में निवेश बढ़ाना: सार्वजनिक, निजी और सामाजिक क्षेत्रों के बीच समन्वित, सहयोगात्मक एवं परिवर्तनकारी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।</p>

राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया

राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है।

➤ इस सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) द्वारा 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत किया गया है।

जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दे

- भौगोलिक दूरी: उदाहरण के लिए- पहाड़ी इलाकों व घने जंगलों में निवास के कारण वहां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना कठिन हो जाता है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: उदाहरण के लिए- दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की सीमित पहुंच के कारण निदान में देरी होती है, अनुचित उपचार की समस्या सामने आती है आदि।
- भाषा संबंधी बाधाएं: उदाहरण के लिए- देशी भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक सीमित पहुंच के कारण तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में बाधा आती है।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पारंपरिक प्रथाएं: उदाहरण के लिए- जनजातियों की स्वदेशी उपचार पद्धतियों को स्वीकार करने और एकीकृत करने में विफलता के कारण प्रायः जनजातीय आबादी के बीच अविश्वास एवं अनिच्छा उत्पन्न होते हैं।

उठाए जाने वाले कदम

- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप का विकास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग करना आदि।
- सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये मॉडल्स जनजातियों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों एवं मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं और उन्हें मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल में शामिल कर सकते हैं।
- लक्षित हस्तक्षेप अपनाने चाहिए। कुपोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और पारंपरिक खाद्य प्रथाओं पर ध्यान देते हुए दुर्लभ बीमारियों, व्यसन एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए जाने चाहिए।

जनजातीय स्वास्थ्य के संबंध में किया जाने वाला सुधार निम्नलिखित द्वारा निर्देशित होना चाहिए-

- सम्मान (जनजातीय संस्कृति के लिए), प्रासंगिकता (जनजातीय समुदायों के लिए), पारस्परिकता (सीखने और विनिमय की दोतरफा प्रक्रिया के माध्यम से) तथा जिम्मेदारी (सक्रिय सशक्तीकरण के माध्यम से)।

जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) (2019-21)

पैरामीटर	वर्तमान स्थिति
ठिगनापन	40.9%
दुबलापन	23.2%
अल्पवजन	39.5%
शिशु मृत्यु दर	41.6
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर	50.3
संस्थागत प्रसव	82.3%
बच्चों का टीकाकरण (आयु 12-23 महीने)	76.8%

वाणिज्य विभाग ने 'डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA)' योजना शुरू की

इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) हीरा निर्यातकों को समर्थन देना;
- रोजगार सृजन करना;
- घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना; और
- भारत के हीरा क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (DIA) योजना

- इसे विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत पेश किया गया है।
- उद्देश्य: नैचुरल कट और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
- योजना की मुख्य विशेषताएं:

- ⊕ यह योजना ¼ कैरेट (25 सेंट) से कम वजन के नैचुरल कट और पॉलिश किए हुए हीरों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है।
- ⊕ निर्यात दायित्व: इसमें 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व को अनिवार्य किया गया है।
- ⊕ पालता: इसमें ऐसे सभी हीरा निर्यातक शामिल होंगे, जिनके पास दो सितारा एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा या उससे ऊपर का दर्जा हो। साथ ही, जिनका प्रति वर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हो।
- ⊕ किस पर लागू नहीं होगी: यह योजना प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों (LGDs) पर लागू नहीं होगी।
- ⊕ करों से छूट: मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी-डॉपिंग शुल्क, प्रतिपूरक शुल्क, आदि।

हालिया दिनों में हीरा उद्योग अनेक वैश्विक और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके कारण निर्यात में भारी गिरावट आई है और कामगारों की नौकरियां चली गई हैं।

हीरा उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- वैश्विक: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोप में पॉलिश किए गए हीरों की मांग में भारी गिरावट आई है। साथ ही, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों की ओर बढ़ी है।
- आंतरिक: पॉलिश किए गए हीरों का बड़ा स्टॉक नहीं बिका है, परिचालन लागत बढ़ी है, वैश्विक हीरा व्यापार में मार्जिन कम है, भारत में उच्च कॉर्पोरेट कर व्यवस्था और बैंकों से कम ऋण भी एक समस्या है।

आगे की राह

- हीरों के व्यापार के संवर्धन के लिए अग्रलिखित उपाय किए जाने चाहिए- कट और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण अवधि का विस्तार, विदेशी कच्चा हीरा विक्रेताओं को कॉर्पोरेट कर से छूट, प्रयोगशाला में विकसित हीरा उद्योग का उचित विनियमन।

महत्वपूर्ण आंकड़े

(वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल)

- भारत पॉलिश किए हुए हीरों का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- भारत माला के हिसाब से विश्व के लगभग 90% कच्चे हीरों की प्रोसेसिंग करता है।
- मूल्य के हिसाब से वैश्विक हीरा निर्यात में भारत का योगदान 33% है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने 'ई-कॉमर्स-स्वशासन के सिद्धांत और दिशा-निर्देश' पर वर्किंग ड्राफ्ट जारी किया

इस ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स स्वशासन के लिए सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों का एक संपूर्ण सेट प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य नैतिक व जिम्मेदार ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का समर्थन करना है।

महत्वपूर्ण सिद्धांत

ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स लेन-देन के सिद्धांतों को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण हैं: लेन-देन से पहले के सिद्धांत, अनुबंध निर्माण के सिद्धांत और लेन-देन के बाद के सिद्धांत। आइए, इन्हें विस्तार से जानते हैं:

- **लेन-देन से पहले के सिद्धांत (Pre-Transaction Principles)**
 - ⊕ ई-कॉमर्स इकाई को विक्रेताओं के व्यवसाय का स्थान, प्रबंधन में शामिल मुख्य व्यक्ति, वित्तीय जानकारी जैसे विवरणों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - ⊕ प्रासंगिक जानकारी को सार्वजनिक करना (डिस्क्लोजर) अनिवार्य है। इसमें उत्पाद/सेवा का विवरण, अंतिम उपभोक्ता-मूल्य, रद्द करने/विनियम/वापसी संबंधी नीतियां, सुरक्षा चेतावनी, विक्रेता का विवरण, उत्पाद का मूल देश (Country of Origin) जैसी जानकारियां शामिल हैं।
- **अनुबंध निर्माण के सिद्धांत (Contract Formation Principles):**
 - ⊕ ई-कॉमर्स इकाई को उपभोक्ता की स्पष्ट और सूचित सहमति रिकॉर्ड करनी चाहिए। यह सहमति पहले से टिक किए गए चेकबॉक्स के रूप में नहीं होनी चाहिए।
 - ⊕ उपभोक्ता द्वारा अंतिम भुगतान से पहले लेन-देन की समीक्षा का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए।
 - ⊕ रद्द करने, उत्पाद वापसी, एवं रिफंड के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया और नीतियां होनी चाहिए। इसमें शुल्क और समय-सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
 - ⊕ सभी लेन-देनों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही एन्क्रिप्शन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुरक्षित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए।
- **लेन-देन के बाद के सिद्धांत (Post-Transaction Principles):**
 - ⊕ उत्पाद वापसी, एक्सचेंज, रिफंड या विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान एवं उपभोक्ता-अनुकूल बनाना चाहिए। इसमें संपर्क के लिए सिंगल पॉइंट टोल-फ्री नंबर, समाधान में लगने वाले समय का उल्लेख, शिकायत निवारण अधिकारी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- **सामान्य सिद्धांत:**
 - ⊕ प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक होनी चाहिए तथा इसके लिए निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही, विक्रेता की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए।
 - ⊕ निष्पक्ष व्यवसाय पद्धतियों का पालन करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो, और पैकेजिंग मानदंडों का पालन हो।
 - ⊕ नकली उत्पादों की बिक्री से बचने के लिए उचित प्रावधान होने चाहिए। साथ ही, बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्त्र

- विकास की संभावनाएं: इसके 2030 तक 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
 - ⊕ वित्त वर्ष 2023 में ई-कॉमर्स ने 60 बिलियन डॉलर के सकल व्यापार मूल्य (GMV) को पार कर लिया था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि को दर्शाता है।
- नीतिगत समर्थन:
 - ⊕ B2B ई-कॉमर्स में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
 - ⊕ ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है।
 - ⊕ सरकार का लक्ष्य 2030 तक ई-कॉमर्स निर्यात को 200-300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

संयुक्त राष्ट्र-खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-FAO) ने 'कृषि-खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन' पर रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग और इसकी वजह से कृषि-खाद्य प्रणालियों में उत्पन्न चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही, इसमें नाइट्रोजन के संधारणीय उपयोग के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन: वर्तमान में मनुष्य कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की भू-सतह में लगभग 150 टेरोग्राम (Tg) अभिक्रियाशील नाइट्रोजन निर्मुक्त करता है।
 - ⊕ जलवायु परिवर्तन के कारण यह मात्रा साल 2100 तक बढ़कर 600 टेरोग्राम प्रति वर्ष हो सकती है। इससे पर्यावरण में नाइट्रोजन-हानि (Nitrogen loss) बढ़ जाएगी।
- नाइट्रोजन हानि: यह निम्नलिखित रूपों में होती है:
 - ⊕ अमोनिया (NH₃) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
 - ⊕ नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), का उत्सर्जन होता है। यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस (GHG), है और
 - ⊕ नाइट्रेट्स (NO₃⁻) का मृदा और जल स्रोतों में रिसाव बढ़ता है, जो यूट्रोफिकेशन और अम्लीकरण का कारण बनता है। इससे पारिस्थितिकी-तंत्र को नुकसान पहुंचता है।
- कृषि-खाद्य प्रणालियों की भूमिका: मानव-जनित नाइट्रोजन उत्सर्जन में पशुधन क्षेत्रक की एक-तिहाई हिस्सेदारी है।
 - ⊕ इसमें सिंथेटिक उर्वरक, भूमि-उपयोग में बदलाव और गोबर से उत्सर्जन नाइट्रोजन प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।
- नाइट्रोजन के उपयोग का दोहरा प्रभाव:
 - ⊕ कृषि में नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग मृदा के क्षरण को रोकता है और पोषक तत्वों की कमी को भरपाई करता है। साथ ही, फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है।
 - ⊕ इसके अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वायु और जल की गुणवत्ता खराब होती है, तथा समताप मंडल में ओजोन परत (Stratospheric Ozone) का क्षरण होता है।

संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन (Sustainable Nitrogen Management)

इसका उद्देश्य बाहर से नाइट्रोजन के उपयोग को रोकना, वातावरण में नाइट्रोजन-हानि को कम करना तथा उत्पादन प्रणाली के भीतर नाइट्रोजन की रीसाइक्लिंग को बढ़ाना है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Use Efficiency: NUE) बढ़ाना: यह अंतिम उत्पादन में प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा और इनपुट के रूप में उपयोग किए गए कुल नाइट्रोजन का अनुपात है। NUE को बढ़ाने में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
 - ⊕ उन्नत उर्वरक रणनीतियों को अपनाना;
 - ⊕ गोबर से होने वाले नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करना;
 - ⊕ पशुधन प्रणाली को फसल उत्पादन के साथ एकीकृत करना आदि।
- फसल चक्र में सोयाबीन, अल्फाल्फा जैसी फलीदार फसलों की खेती के जरिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं निर्धारित करनी चाहिए।

अन्य सुर्खियां

आर्कटिक-बोरियल क्षेत्र

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि आर्कटिक-बोरियल क्षेत्र (ABZ) का 34% हिस्सा अब कार्बन सिक की बजाय कार्बन उत्सर्जन का स्रोत बन गया है।

➤ इस बदलाव के मुख्य कारण हैं- उत्तरी अक्षांशों में रीजनल हॉटस्पॉट्स का बढ़ना, पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना और वनाग्नि की बढ़ती संख्या।

आर्कटिक-बोरियल क्षेत्र (ABZ) के बारे में

- ABZ में उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष-विहीन टुंड्रा व बोरियल वन और आर्कटिक सर्कल के साथ स्थित आर्द्रभूमियां शामिल हैं।
 - ⊕ बोरियल वन को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। इसमें सदाबहार और शंकुधारी वनों की प्रधानता है।
 - ⊕ आर्कटिक टुंड्रा में प्रजातियों की विविधता बहुत कम है तथा निवल प्राथमिक उत्पादकता भी कम है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां की मिट्टी 12 महीने जमी हुई अवस्था में रहती है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है।

परागणक (Pollinators)

एक हालिया शोध के अनुसार कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फूलों की संख्या में पांच गुना कमी आती है। साथ ही, परागणक कीटों (जैसे- मधुमक्खी) की संख्या भी आधी रह जाती है।

परागणकों (Pollinators) के बारे में

- परागणक पराग को फूल के नर जननांग (पुंकेसर/ Stamen) से मादा जननांग (वर्तिकाग्र/ Stigma) में स्थानांतरित करता है। इससे निषेचन संभव हो पाता है।
- परागणकों में कीट और जंतु शामिल हैं। इनमें शामिल हैं- मधुमक्खियां, तितलियां, पतंगे, चमगादड़, पक्षी, मक्खियां, आदि।
- परागणक का महत्व:
 - ⊕ खाद्य आपूर्ति: विश्व की लगभग 35% खाद्य फसलें प्रजनन के लिए जंतु परागणकों पर निर्भर हैं।
 - ⊕ पारिस्थितिकी-तंत्र स्वास्थ्य: 75% पुष्पी पादप प्रजनन के लिए परागणकों पर निर्भर होते हैं। इससे मिट्टी को स्थिर रखने व हवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है तथा वन्य जीवन को सहारा प्राप्त होता है।



स्कैमजेट इंजन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने 120 सेकंड के लिए एक्टिव कूल्ड स्कैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। हैदराबाद में स्थित DRDL, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इकाई है।

- इस सफलता में एंडोथर्मिक स्कैमजेट ईंधन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कूलिंग को बढ़ाने और आसानी से प्रज्वलन में मदद करता है।
- लाभ: यह नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों के विकास में सहायक है।
- स्कैमजेट इंजन के बारे में
- कार्य: यह एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है। यह घूर्णनशील कंप्रेसर के बिना दहन हेतु रॉकेट के आगे की हवा को कंप्रेस करने के लिए हाइपरसोनिक रॉकेट के फॉरवर्ड मोशन का उपयोग करता है।
- क्षमता: यह हाइपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है और सुपरसोनिक गति पर दहन में सहायक होता है।



मिशन SCOT

प्रधान मंत्री ने मिशन SCOT की सफलता के लिए दिगंतारा टीम को बधाई दी।

मिशन SCOT के बारे में

- SCOT से आशय है- स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग।
- उद्देश्य: यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखकर इनकी मैपिंग करेगा।
- लाभ:
- यह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में ऑब्जेक्ट्स की सटीक तरीके से ट्रैकिंग और इमेजिंग में मदद करेगा।
- यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की सटीक ट्रैकिंग में भी मदद करेगा।
- योगदान: यह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में योगदान देगा।



कलारिपयट्टू

उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारिपयट्टू को प्रदर्शन हेतु इवेंट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसे प्रतियोगिता वर्ग से हटा दिया गया है।

कलारिपयट्टू के बारे में

- यह केरल में विकसित हुआ था। यह सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है, जिसका इतिहास संगम काल से जुड़ा है।
- 'कलारी' का अर्थ है प्रशिक्षण केंद्र या वह स्थान जहां अभ्यास होता है और 'पयट्टू' का अर्थ है लड़ाई या कठोर शारीरिक अभ्यास।
- दो मुख्य शैलियां:
- वडक्कन या उत्तरी शैली केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है।
- थेक्केन या दक्षिणी शैली मुख्य रूप से त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है।



प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

महाराष्ट्र कृषि विभाग ने पाया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत दायर किए गए कम-से-कम 4.14 लाख फसल बीमा क्लेम फर्जी हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में

- उद्देश्य: फसल हानि/ क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनकी आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, आदि।
- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- लाभार्थी: बटाईदार और काशतकार किसानों सहित सभी किसान।
- कवर की गई फसलें: खाद्यान्न फसलें (अनाज, मिलेट्स आदि), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें।
- जोखिमों का कवरेज: प्राकृतिक आगजनी, तड़ित, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, कीट/ रोग जैसे गैर-निवारणीय जोखिमों के कारण उपज में होने वाली हानि कवर की जाती है।
- फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और स्थानीय विपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है।



ऑस्ट्रेलोपिथेकस

नए शोध से यह साक्ष्य मिला है कि प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत कम या बिल्कुल भी मांस नहीं खाते थे। वे वनस्पति आधारित आहार पर निर्भर रहते थे।

- दांतों के इनेमल पर किए गए नाइट्रोजन आइसोटोप एनालिसिस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मांस उपभोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
- ये निष्कर्ष प्रारंभिक मानवों के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देते हैं। ये निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि बाद की प्रजातियों में मांसाहार की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई होगी।

ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में

- ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेन्सिस सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली और सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक मानव प्रजातियों में से एक है।
- यह प्रजाति लगभग 4.2 से 1.9 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती थी।
- परिणामों से पता चलता है कि ये प्रारंभिक मानव मुख्य रूप से पादप-आधारित आहार पर निर्भर थे। इनके द्वारा मांस उपभोग के साक्ष्य बहुत कम हैं।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व:



रासबिहारी बोस (1886-1945)

21 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई गई।

रासबिहारी बोस के बारे में

- उनका जन्म बर्धमान जिले (बंगाल) में हुआ था।
- वे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। उन्होंने अलीपुर बम कांड के कारण बंगाल छोड़ दिया था।
- प्रमुख योगदान:
- वे क्रान्तिकारियों के युगांतर समूह के सक्रिय सदस्य थे।
- वे दिल्ली षड्यंत्र केस, 1912 में शामिल थे। इस मामले में उन्होंने वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम से हमला किया था।
- उन्होंने टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग (1942) की स्थापना की थी।
- उन्होंने गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज (भारतीय राष्ट्रीय सेना) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

